UPBJ120023892026

<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर, बिजनौर</u>
सरकार बनाम गोपाल आदि
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–511/2026
मु०अ०सं०– 418/2021
धारा– 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना– नूरपुर, बिजनौर।
<u>दिनांक 15–07–2026</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. गोपाल सिंह पुत्र बिशन सिंह, 2. संजय कुमार पुत्र गोपाल सिंह** व **3. दिनेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–**418/2021,** अन्तर्गत धारा–**452, 323, 504, 506 भा०दं०सं०** थाना **नूरपुर,** जिला बिजनौर में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। घटना का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण अपनी उचित जमानत देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण पर जिस अपराध का अभियोग है वह मजिस्ट्रेट विचारणीय है एवं सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले पर गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **1. गोपाल सिंह पुत्र बिशन सिंह, 2. संजय कुमार पुत्र गोपाल सिंह** व **3. दिनेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह,** मु०अ०सं०–**418/2021**, अन्तर्गत धारा**– 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं०**, थाना **नूरपुर**, जनपद बिजनौर द्वारा 25,000–25,000/– रूपये की एक–एक प्रतिभू व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किये जाते हैं।

अरूण कुमार राणा
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर
बिजनौर
J.O.CODE–UP3660

Digitally signed by ARUN KUMAR RANA
Date: 2026.07.15 16:25:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court